



कार्यालय गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर

देवरिया बाई पास रोड, रामगढ़ताल परियोजना, गोरखपुर।

प्रदेशन पत्र

पत्रांक संख्या:...../दस-सम्पत्ति/गो0वि0प्रा0/2025-26

दिनांक...

सेवा में,

श्री/श्रीमती: Name

पिता/पति/पत्नी: FName

पता:

महोदय/महोदया,

आप के द्वारा प्राधिकरण की कुशमी एनवलेव योजना के अन्तर्गत आवेदन संख्या के द्वारा रु. मात्र प्राधिकरण निधि में जमा करके () श्रेणी के प्लैट आवंटन हेतु पंजीकरण कराया गया है। उक्त योजना की दिनांक को सम्पन्न ई-लॉटरी में आप के पक्ष में प्लैट संख्या - आवंटित हुआ है, जिसके विरुद्ध निम्नलिखित विवरण के अनुसार भुगतान करना होगा :-

(क) प्लैट का कार्पेट एरिया वर्ग मीटर है, जिसका भूमि सहित प्लैट का कुल मूल्य रु. है।

(ख) जमा पंजीकरण धनराशि रु. मात्र।

(ग) प्लैट मूल्य एक मुश्त जमा करने के इच्छुक आवंटी को देय धनराशि रु. मात्र आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से 45 दिन के अन्दर दिनांक- तक जमा करनी होगी।

(घ) आवंटन के पश्चात् प्लैट मूल्य का 25 प्रतिशत देय धनराशि रु. मात्र आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से 45 दिन के अन्दर दिनांक-..... तक जमा करनी होगी।

(ङ.) प्लैट मूल्य की अवशेष धनराशि निम्नवत् देय होगा-

सम्पत्ति की श्रेणी	अवशेष धनराशि (रु. में) आवंटन के पश्चात					कब्जे के समय भवन की लागत का अवशेष मूल्य	
	1	2	3	4	5	6	7
	06 माह पश्चात् 10%	12 माह पश्चात् 10%	18 माह पश्चात् 10%	24 माह पश्चात् 10%	30 माह पश्चात् 10%	सामान्य वर्ग 15%	आरक्षित वर्ग 20%
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)

(च) कब्जे के समय भूमि की लागत का 12 प्रतिशत रु. मात्र फ्रीहोल्ड शुल्क अतिरिक्त देय होगा।

(छ) भौतिक कब्जा प्राप्त करने से सम्बन्धित प्राधिकरण द्वारा सूचना पत्र निर्गत होने की तिथि से 30 दिन के अन्दर वांछित धनराशि जमा करने के पश्चात् नियमानुसार स्टैम्प पेपर प्रस्तुत करके विक्रय विलेख निष्पादित कराकर अपने पक्ष में आवंटित सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

अतः उपरोक्त धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से उपरोक्तानुसार प्राधिकरण निधि में जमा करना सुनिश्चित करें।

नोट:-

(1) किसी भी देय धनराशि को विलम्ब से जमा करने पर 13 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त दण्डात्मक ब्याज देय होगा, जो अधिकतम तीन माह में देय होगा।

(2) फ्लैट का मूल्य अनुमानित है, योजना पूर्णतः विकसित होने या न्यायालय के आदेश अथवा किन्हीं अन्य कारणों से फ्लैट मूल्य में बढ़ोतरी होगी, तो वह आवंटी द्वारा विक्रय विलेख सम्पन्न होने से पूर्व देय होगा।

उपरोक्त विवरण में अंकित धनराशि को आवंटन पत्र में दिए गए QR कोड को स्कैन करके या गोरखपुर विकास प्राधिकरण के पोर्टल <https://income.gdagorakhpur.com> पर Pay Dues में जाकर अपनी प्रॉपर्टी सर्व कर ई-चालान के माध्यम से निर्धारित समय के अन्दर जमा करना आवश्यक है। ई-चालान के माध्यम से कौश चालान निकाल कर कौश द्वारा तथा चेक चालान निकालकर चेक द्वारा अथवा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या यूपीआई के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान किया जा सकता है। कृपया चालान में अंकित अपनी निजी जानकारी जाँचने के उपरान्त ही भुगतान जमा करें। चालान निर्धारित अवधि के अन्दर जमा करना आवश्यक होगा। भुगतान के पश्चात् कार्यालय प्रति को ई-मेल द्वारा gdaechallan@gmail.com पर अथवा किसी भी कार्य दिवस में प्राधिकरण कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य होगा इसके बिना आवेदन का भुगतान मान्य नहीं होगा। आवंटी यदि उक्त वांछित धनराशि जमा न करके इस पत्र के निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर आवंटन निरस्त करने का प्रार्थना पत्र दिया जाता है, तो पंजीकरण धनराशि का 20 प्रतिशत जम्ब करते हुए आवंटन एवं पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा। परन्तु जो आवंटी निर्धारित तिथि तक धनराशि जमा नहीं करते हैं अथवा धनराशि जमा करने के पश्चात् आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से एक माह के पश्चात किन्हीं परिस्थितियों में आवंटन निरस्त करने का प्रार्थना पत्र दिया जाता है, तो पंजीकरण धनराशि का 20 प्रतिशत के साथ सम्पत्ति मूल्य का 13 प्रतिशत की दर से अधिकतम 02 माह का ब्याज भी पंजीकरण धनराशि में से कटौती करते हुए उनका पंजीकरण तथा आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा एवं नियमानुसार सम्पत्ति अन्य को आवंटित कर दी जायेगी।

(3) यदि फ्लैट के क्षेत्रफल में तीज प्लान प्राप्त होने पर फ्लैट का क्षेत्रफल आवंटित क्षेत्रफल से अधिक होता है तो आवंटित क्षेत्रफल का 10 प्रतिशत अतिरिक्त क्षेत्रफल पुराने दर से तथा शेष अतिरिक्त क्षेत्रफल का मूल्य वर्तमान दर पर भुगतान करना होगा।

(4) फ्लैट के मद में जमा की जाने वाली समस्त धनराशि पर नियमानुसार जी0एस0टी0 देय होगा।

(5) यदि देय तिथि के दिन बैंक अवकाश होता है तो अगले कार्य दिवस पर देय धनराशि का भुगतान आवश्यक रूप से जमा होना आवंटी सुनिश्चित करेगा।

(6) आवंटी द्वारा प्राधिकरण के पक्ष में किये गये भुगतान को प्राधिकरण के खाते में प्राप्त होने की तिथि को ही माना जायेगा।

(7) प्रत्येक भुगतान की रसीद बैंक से प्राप्त कर एक प्रति प्राधिकरण को तथा एक प्रति आवंटी को अपने पास रखना होगा।

प्रिंट दिनांक :

सहायक सम्पत्ति अधिकारी,
गोरखपुर विकास प्राधिकरण,
गोरखपुर।